उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

... 2005 की धारा 19(3) के तहत

में,

श्रीमान् द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी सह राज्य सूचना आयुक्त महोदय,
आर0टी0आई0 भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उ0प्र0।

प्रसंगः— भवदीय कार्यालय का द्वितीय अपील पंजीकरण संख्या—A-20260502234 दि0—23.06.2026

विशयः— अति शीघ्र सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबध में सादर अनुरोध पूर्वक कहना है कि मेरे भाई द्वारा लोक सूचनाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक महोदय बीकापुर अयोध्या से अपने द्वारा दिये गये आवेदन की जॉच आख्या से अवगत कराने हेतु सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत् 10 रूपया का पोस्टल आर्डर के साथ मॉग की गयी जिस संबंध में लोक सूचनाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक बीकापुर, श्री पियूष महोदय, टाल मटोल कर उक्त सूचना को नही दिया गया। भौतिक रूप में कार्यालय में लोक सूचनाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक महोदय बीकापुर अयोध्या श्री पियुष से मिलकर उक्त सूचना प्रदान करने हेतु अनुरोध करने पर महोदय द्वारा बताया गया कि आवेदक तुम्हारा भाई आशीष गौरव है अतः उक्त सूचना हेतु सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत् उक्त चाही गयी सूचना उनसे मॉग करने पर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी, पुनः मेरे द्वारा अपने द्वारा दिये गये सूचनाधिकार अधिनियम 2005 से उक्त सूचना हेतु आवेदन पर लोक सूचनाधिकारी महोदय द्वारा कोई भी सूचना नही प्रदान की गयी। उक्त संबंध में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह वरीष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अयोध्या से उक्त सूचना की मॉग करने पर भी सूचनाधिकार अधिनियम 08(1)ज का हवाला देते हुए उक्त सूचना प्रदान नही की गयी। तत्पश्चात् मेरे द्वारा उक्त सूचना के संबंध में द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी सह राज्य सूचना आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उ0प्र0 को डाक द्वारा अपील करने पर उक्त डाक मेरे घर के पते पर लौटा दिया गया जिसमें आलेखित किया गया था कि द्वितीय अपील ऑन लाईन ही की जा सकती है। हैल्पलाईन नं0 पर बात करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश सूचनाधिकार कार्यालय द्वितीय अपील के लिए डाक द्वारा दिये गये आवेदन को नही स्वीकार करता है। पुनः मेरे द्वारा ऑन लाईन पंजीकरण करने के पश्चात् सूनवाई हेतु दिनांक—18.06.2026 को तिथि निर्धारित की गयी थी, श्रीमान् मैं रोजी रोजगार के शीलसिले में बाहर के प्रदेश में रहकर नौकरी करता हूँ। मेरे द्वारा तत्काल का टिकट ले लेने के बाद मैसेंज आया कि सुनवाई की अगली तिथि दिनांक—09.09.2026 करीब पौने तीन माह बाद हो गयी है।

श्रीमान् मेरे द्वारा चाही गयी उक्त सूचना राष्ट्रहीत से अलग नही है न ही उक्त सूचना से किसी का अहित होने का अंदेशा है जबकि उक्त मेरे द्वारा दिया गये आवेदन की जॉच की आख्या से मुझे अवगत कराने हेतु मेरे द्वारा आवेदन में ही अनुरोध किया गया था। मेरे द्वारा दिनांक—16.05.2025 को जॉच के लिए आवेदन दिया गया था जिसके जॉच आख्या की संबंधित उक्त सूचना से आज तक मुझे अवगत् नही कराया गया जबकि जॉच आख्या की जानकारी प्राप्त करना मेरा पूर्ण अधिकार भी है।

श्रीमान् अनुरोध है कि इस प्रकरण की सूनावाई अति शीघ्र करने हेतु संबंधित का आदेश प्रदान किया जाय ताकि गलत तरह से सुचनाधिकार की व्याख्या कर सूचना नही देने वाले लोकासूचना अधिकारी को भवदीय स्तर से डन्डित किया जा सके।

इस महान कृपा के लिए श्रीमान् का सदा ऋणी रहूँगा।

Seen
R.O.
25/06/26

S(8) Comm

प्रार्थी—
आशीष गौरव
24.06.2026
(आशीष गौरव)
ग्रा0+पो0—मुबारक पुर पिकार
थाना—राजेसुल्तानपुर
जिला—अम्बेडकरनगर
मो0नं0— 9810320904

He is Complainant. He wants early hearing. He has been given 3 months date. PL. look into it

24/6/26 IC

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

उ0प्र0 सूचना आयोग,

लखनऊ।

कृपया श्री आशीष गौरव के पत्र दिनांक 24.6.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से श्री आशीष गौरव द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके प्रकरण की सुनवाई तिथि 09.09.2026 से हटा कर कोई पास की तिथि लगाने की कृपा करें।

उक्त के संबध में आपको अवगत कराना है कि आवेदक के अनुरोध पर उनकी पत्रावली पर 30.07.2026 की तिथि नियत की जाती है।

उक्त पत्रावली मूल रूप से मा0राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वह अपने स्तर से उचित निर्णय लेने का कष्ट करे।

संलग्न–यथोक्त

(राजेन्द्र सिंह)

राज्य सूचना आयुक्त

25.6.2026